समाचार-प्रकाशनार्थ:-

आयुष्मान कार्ड वार्डवार कॉमन सेन्टरों पर निःशुल्क बनाये जा रहे है
सात दिनों में 1651 हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये

रतलाम 14 जून । आयुष्मान भारत ष्निरामयम' ' योजना अन्तर्गत रतलाम नगर के पात्र हितग्राहियों के निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य नगर निगम द्वारा 5 से 15 जून तक वार्डो के कॉमन स र्वस सेन्टरों पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन में वार्ड वार नियुक्त अ धकारी एवं कर्मचारियों द्वारा कया जा रहा है। कार्ड बनाने का कार्य 5 जून को प्रारंभ कया गया जिसके तहत 14 जून को 222 कार्ड बनाये गये इस तरह 8 दिनों में 1651 हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनवाये जा चुके है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम द्वारा आयुष्मान भारत ष्निरामयम' ' योजना अन्तर्गत आयुष्मान कार्ड वशेष अ भयान चलाकर योजना अन्तर्गत पात्र परिवारों का आयुष्मान कार्ड समय-सीमा में बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया को नोडल अ धकारी नियुक्त कया गया है।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा वार्डवार नगर निगम कर्मचारीए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताए कॉमन स र्वस सेन्टर के प्रोवाईडर के दलो का गठन कया है तथा कार्य के पर्यवेक्षण हेतु निगम के उपयंत्रीए उप स्वच्छता पर्यवेक्षकए आंगनवाड़ी सुपरवाईजरए को पाबंद कया गया तथा आयुष्मान कार्ड बनाने की संपूर्ण कार्यवाही हेतु स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संह को नोडल अ धकारी नियुक्त कया गया है।

वार्डवार गठित दलों को निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत कया है क रतलाम नगर में युद्ध स्तर पर पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये जाना है इस हेतु हितग्राही से कसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लया जावेए पात्र हितग्राहियों और उनके परिवार सदस्यों का पंजीयन कये जाने हेतु आधार कार्ड व समग्र आईडी दस्तावेज के रूप में लये जावें।

युद्ध स्तर पर चल रहा है नाले-ना लयों की सफाई का कार्य

9 नालो की सफाई का कार्य जारी

नालो की सफाई उपरांत कया जा रहा है कीटनाशक दवा का छिड़काव

रतलाम 14 जून । वर्षा ऋतु के पूर्व नगर के समस्त नाले-ना लयों की सफाई करवाये का कार्य निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देश के तहत निगम के स्वास्थ्य वभाग द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है साथ ही नालो की सफाई उपरान्त कीटनाशक दवा का छिड़काव भी कया जा रहा है।

निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा गीता मंदिर के सामनेए टीआईटी रोडए भक्तन की बावड़ीए चमारिया नाकाए हरमाला रोड ताज स्टोन के पासए लक्कड़पीठाए तक्ष शलाए त्रिवेणी मुक्तिधाम के पास व शक्तिनगर वाले नाले की सफाई का कार्य स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संह के निर्देशन में जेसीबी मशीनए टेª क्टर ट्रॉली व गैंग के माध्यम से कया गया व सफाई उपरान्त नालों व ना लयों में केसो लक व ब्ली चंग कीटनाशक दवा का छिड़काव कया गया। इसके अलावा जिला च कत्सालय की बावड़ी की सफाई का कार्य करवाया गया।

खुले में गंदगी करने व कचरा पात्र नहीं रखने पर 13 व्यक्तियों पर जुर्माना

गंदगी करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 14 जून । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो क खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु स्पॉट फाईन दल द्वारा संब धतों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 14 जून को 13 व्यक्तियों पर जुर्माना कया गया। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्पॉट फाईन दल द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रो में 13 दुकानदार व नागरिकों पर जुर्माना

 कया गया जिसके तहत भावना शर्मा साक्षी पेट्रोल पम्प के पास पर 500ए मुस्तवीर त्रिपो लया गेट पर 200ए प्रकाश जैनए वजय संह घांस बाजारए पूनमचन्दए वक्रम चांदनी चौकए गुड्डूबाईए नि कता कसारा बाजारए वष्णु बैरागी बाल च कत्सालय के पासए गीताबाईए कचरूए समीर त्रिपो लया गेटए संगीताबाई अमृत सागर तालाब पर 100.100 रूपये का स्पॉट फाईन कर भ वष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है क षहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी स्पॉट फाईन दल के मनोज टांक मो.नं. 7000848456ए पवन झांझोट मो.नं. 7000128812ए आकाष षन्दे मो.नं. 9424075393ए 7724981736 मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110ए राकेष ललावत मो.नं. 7000128812 को देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

942 मवे शयों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा

स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

रतलाम 14 जून । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवे शयों को पकड़ा जायेगा क्यों क मवेशी पालको द्वारा दिन में मवे शयों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अ भयान चलाया जा रहा है जिसके तहत 14 जून तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 942 मवे शयों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अ भयान के तहत 14 जून को दीनदयाल नगर से 1 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा पकड़ा गया।

शहर के सार्वजनिक स्थानोंए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अ भयान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी कया गया है। शहरी क्षेत्र में मवे शयों का पालन करना नियम वपरित हैए ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति के वपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवे शयों का पालन कया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर रा श वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड रा श रूपये 500ध् वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवे शयों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए0पी0 संह के निर्देशन में स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

कन्टेनमेंट क्षेत्रों में कया जा रहा है सेनेटाईजेशन का कार्य

रतलाम 14 जून । को वड-19 ;कोरोना वायरस) के फैलाव को रोकने हेतु जिला कलेक्टर श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर के व भन्न क्षेत्रों में कोरोना संक्र मत मरीज पाये जाने पर बनाये गये कन्टेनमेंट क्षेत्रों में फायर लॉरीए टेªक्टर ट्रॉली व हैण्ड स्प्रे मशीन से सेनेटाईजेशन कया जा रहा है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क नगर के व भन्न क्षेत्रों में कोरोना संक्र मत मरीज पाये जाने पर बनाये गये व भन्न कन्टेनमेंट क्षेत्रों में फायर लॉरीए टेªक्टर ट्रॉली व हैण्ड स्प्रे मशीन से कन्टेनमेंट क्षेत्रों में निय मत रूप से पानी में 1 प्रतिशत सो डयम हाईपोक्लोराईड मलाकर सेनेटाईजेशन का कार्य झोन अनुसार नगर निगम

के कर्मचारियों द्वारा नियमत रूप से कया जा रहा है ताक कोवड-19 ;कोरोना वायरस) के फैलाव को जा सकें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 14 जून । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशत कया है क वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधत झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशत कया यदि कसी भी वार्ड में मक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधत कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशत कया क प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशत कया क दोनो पालयों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशत कया है क वे प्रतिदिन प्रमाणत करेंगे क उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 14 जून । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-ना लयों आदि समु चत सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-ना लयों में कचरा पाये जाने पर संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समु चत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं. व./हेमन्त/14ण्06ण्2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.